न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत, R. A. S.

प्रकरण सं. 8 / 2018 ई. रे. जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018 / 00018

श्री गोपीलाल पिता लाला ओड़, आयु 35 वर्ष, निवासी देवदा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला – चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी

बनाम

1.श्री सुधीर पुत्र अमरचन्द सुराणा, आयु वयस्क, निवासी जोधपुर हाल मुकाम अमर प्रकाश देव प्रा0लिमि. 42 राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नेहरू नगर, क्रोमपेट, चेन्नई पिन कोड नं. 600044

2.श्री भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादड़ी, जिला – चित्तौड़गढ़ (राज.)

–

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. टेनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमसिंह मेहता, अधिवक्ता–वादी की ओर से
2. एक पक्षीय कार्यवाही–प्रतिवादीगण के विरुद्ध

–:: निर्णय ::– दिनांक :–29.09.2023

वादी द्वारा दिनांक 17.01.2018 को इस न्यायालय में धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया की देवदा ग्राम, पटवार हल्का विनायका, तहसील बड़ीसादड़ी में खाता सं. 19 की खसरा सं. 139, 140, 143, कुल किता 3, कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित हैं, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नं. 104 मीन, रकबा 43 बिघा 14 बिस्वा रहे है। इस आराजी में से वादी के पिता लालु उर्फ लाला जी ओड ने 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि तत्कालिन खातेदार कंवलमल पिता करणमल जी सुराणा महाजन से 75/–पिच्चहत्तर रुपये के प्रतिफल पर दिनांक 10.10.1966 को क्रय की और इस आशय का बिक्रीनामा वाद पत्र के साथ पेश किया है, खरिदी गई भूमि के निम्न सीमा बताये है पूर्व– लालु पिता देवा मीणा का खेत, पश्चिम– श्री बाबरू ओड़ व परेश सुथार का खेत, उत्तर– विनायका देवदा ...,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.25 09:44:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

दक्षिण– श्री रामा ओड का खेत। इस प्रकार इसी आराजी में से वादी के पिता लालु उर्फ लाला जी ओड ने 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि और तत्कालिन खातेदार कंवलमल पिता करणमल जी सुराणा महाजन से 75/– पिच्चहत्तर रूपये के प्रतिफल पर दिनांक 20.12. 1966 को क्रय की और इस आशय का बिकाव नामा वाद पत्र के साथ पेश किया हैं। खरिदी गई भूमि के निम्न पड़ौस बताये है :– पूर्व–श्री कालु पिता देवा मीणा का खेत, पश्चिम– श्री बाबरू ओड़ व परबु सुथार का खेत, उत्तर– बिनायका देवदा का रास्ता, दक्षिण– श्री रामा ओड का खेत। उक्त पड़ौस के मध्य की दोनो खरीदशुदा भूमियो पर वादी ने पुर्व में उसके पिता का व पिता की मृत्यु के उपरांत वादी का कब्जा होना बताते हुए अपनी खातेदारी में घोषित किये जाने की प्रार्थना की है। पुर्व में कानुन की जानकारी नही होने से खातेदारी में दर्ज नही होना बताया है, विक्रेता खातेदार कंवरमल जी व उनके पुत्र अमरचन्द सुराणा दोनो की मृत्यु होना बताया और सुधीर कुमार प्रतिवादी सं. एक को एकमात्र विधिक वारिस बताते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र दर्ज होने के उपरांत प्रतिवादी सुधीर एवं भुमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के सम्मन जारी किये गए सम्मन विधिवत् तामील होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण इस न्यायालय में उपस्थित होने में व जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहे है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होकर उनका कोई जवाब या ऐतराज नही होने से तनकीया कायम करने की आवश्यकता नही रही है। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जा कर वादी गोपीलाल तथा गवाह निर्मल कुमार भण्ड़ारी ने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में दोनो बिकाव नामे, मिलान खसरा अभिलेख, चालु खाते की जमाबंदी आदि प्रदर्शित कराए है,बिकाव नामें पर बेचानकर्ता के हस्ताक्षर को गवाह निर्मल कुमार ने पारिवारिक रिश्तेदार होने से पहचाना है। अपने पिता सोहनचन्द्र भण्ड़ारी द्वारा बिकाव नामा लिखा जाना अपनी साक्ष्य में जाहिर किया है और यह भी बताया कि कंवरमल जी जो इस गवाह के रिश्तेदार हैं, का प्रतिवादी सुधीर कुमार ही एकमात्र विधिक वारिस है।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली का विश्लेषण किया गया। [illegible] 1966 से पुरानी आराजी सं. 104 में से 5 बिघा जमीन पर काबिज होक[illegible]ना बताया हैं, जिसके सेटलमेन्ट उपरांत नये नम्बर 139, 14[illegible] मिलान [illegible] अभिलेख से प्रकट है। बिकाव के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.25 09:44:52 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

दोनो दस्तावेज यानि विक्रय पत्र एक सौ रूपये से कम विक्रय प्रतिफल यानी 75/– रूपये हेतु प्रत्येक निष्पादित होने से अनिवार्य पंजीयन की श्रेणी में नही आते है और उसकी विधि मान्यता प्रश्नगत नहीं रहती है। वादी के अभिवचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध प्रतिवादीगण के द्वारा उपस्थित होकर लेश मात्र भी खण्ड्न नही किया गया हैं। ऐसी सुरत में वादी की साक्ष्य अखण्ड़ित रहती है और उस पर अविश्वास का कोई आधार प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार वाद पत्र को डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

–:: **आदेश** ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर देवदा राजस्व ग्राम की नई आराजी सं. 139, 140, 143 कुल किता तीन, कुल रकबा 9.44 हैक्टेयर में वादी गोपीलाल पुत्र लाला ओड निवासी देवदा को 5 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें ।

आदेश आज दिनांक 29.09.2023 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(बिन्दुबाला राजावत) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.25 09:44:52 IST
Reason: SelfAttested